उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः–3216/VI(1)/2018–03(05)/2015 T.C
देहरादूनः दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2018" को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– (1)/VI(1)/2018–03(05)/2015 T.C तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, हरिद्वार को "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2018" की अधिसूचना एवं नियमावली की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया साधारण गजट में प्रकाशनार्थ अधिसूचना तथा संलग्न नियमावली की 300 मुद्रित प्रतियां तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार सिंह)
अनुसचिव।

संख्याः–3216 (2)/VI(1)/2018–03(05)/2015 T.C, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
6. अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

(अतुल कुमार सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः–3213/VI(1)/2018–03(05)/2015 टी0सी0
देहरादूनः दिनांक18 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 है।
(2) यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 3 में उपनियम (छः) को निम्नवत अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :
"(छः) नवीन भवन निर्माण अथवा विस्तारीकरण हेतु बैंक ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाणित भवन नक्शे की आवश्यकता होगी।"

नियम 4 का संशोधन 3. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उप नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गए उप नियम को रख दिया जायेगा, अर्थात :**

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(3)गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।	4.(3)गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किये जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होगी।

नियम 14 का संशोधन 4. **मूल नियमावली में नियम 14 में निम्नवत परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :**
"परन्तु यह कि गृह आवास (होम स्टे) योजंना के सापेक्ष लिया जाने वाला बैंक ऋण व्यवसायिक ऋण की श्रेणी में आयेगा।"

टिप्पणीः मूल नियमावली के प्रस्तावना में "धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क)" शब्द, कोष्ठक और अंको के स्थान पर "धारा 20 की उपधारा (1) शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे।

आज्ञा से,
(दिलीप जावलकर)
सचिव।